



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग /DEPARTMENT OF REVENUE  
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय /OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
कस्टम हाउस, मर्मगोआ, गोवा - ४०३८०३ /CUSTOM HOUSE, MARMAGOA, GOA - 403803.  
दूरभाष /Phone-0832-2520615, फैक्स /Fax-0832-2520744

फा. सं. S/99-34/2018-Appg/legal

दिनांक: 08.03.2018

सार्वजनिक सूचना सं. /PUBLIC NOTICE - 05/2018

विषय: अग्रिम नियम और अपील के लिए अपील प्राधिकरण के लिए अग्रिम नियम के लिए आवेदन पत्र का मैनुअल दाखिल करने के सम्बन्ध में....

Sub:- Manual filing of applications for Advance Ruling and appeals before Appellate Authority for Advance Ruling-reg...

व्यापार और उद्योग, निर्यातक, सीमा शुल्क दलाल, व्यापार, नौवहन लाइन / नौवहन एजेंटों, और सीमा शुल्क क्षेत्र में किसी भी क्षमता में आयातित वस्तुओं की रसीद, भंडारण, वितरण, प्रेषण या अन्यथा निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ध्यान और निर्यात माल बोर्ड के परिपत्र सं 25/25/2017-जीएसटी को 21.12.2017 को उपरोक्त विषय पर आमंत्रित किया गया है, अग्रिम नियम के लिए आवेदन पत्र की मैनुअल फाइलिंग और अग्रिम नियम के लिए अपीलीय प्राधिकारी से अपील करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

Attention of the Member of Trade and Industry, Exporters, Customs Brokers, Trade, Shipping Lines/ Shipping Agents, and all persons responsible for receipt, storage, delivery, dispatch or otherwise handling of imported goods and exported goods in any capacity in a Customs area is invited to the Board Circular No. 25/25/2017-GST dated 21.12.2017 on the above subject, the procedure for Manual filing of applications for Advance Ruling and appeals before Appellate Authority for Advance Ruling shall be as follows:

१. सीजीएसटी नियमों, 2017 (इसके बाद "सीजीएसटी नियम" के रूप में संदर्भित) नियम 104 और 106 के अनुसार, उपरोक्त निर्णयों के लिए आवेदन और अग्रिम निर्णयों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए आवेदन आवेदक द्वारा आम पोर्टल पर किया जाएगा। हालांकि, आम पोर्टल पर अपेक्षित रूपों की अनुपलब्धता के कारण, नया नियम 107 ए अधिसूचना सं 55/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 के माध्यम से डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि अध्याय बारहवीं में निर्धारित किसी भी प्रक्रिया या प्रक्रिया के संबंध में, किसी आवेदन की सूचना, सूचना, उत्तर, घोषणा, वक्तव्य या इलेक्ट्रॉनिक जारी करने के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के संदर्भ में, उस आवेदन की सूचना, सूचना, उत्तर, घोषणा, वक्तव्य या जारी नोटिस, आदेश या जारी करने के मैनुअल फाइलिंग शामिल है।

As per rules 104 and 106 of the CGST Rules, 2017 (hereinafter referred to as "the CGST rules") the application for obtaining an above ruling and filing an appeal against advance ruling shall be made by the applicant on the common portal. However due to the unavailability of the requisite forms on the common portal, a new rules 107A has been inserted vide Notification No. 55/2017-Central Tax, dated 15.11.2017, which states that in respect of any process or procedure prescribed in chapter XII, any reference to electronic filing of an application,

intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, include the manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such forms as appended to the CGST Rules.

२. इसलिए, परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय सामान और सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद "सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 168 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और इसके उद्देश्य के लिए इस तरह के मैन्युअल अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण में समानता सुनिश्चित करना अग्रिम सत्तारूढ़ मॉड्यूल को आम पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, निम्नलिखित शर्तों और प्रक्रिया आवेदन पत्रों के मैन्युअल फाइलिंग और प्रसंस्करण के लिए निर्धारित की जाती है।

Therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as "the CGST Act") on the recommendations of the Council and for the purpose of ensuring uniformity in the processing of such manual applications till the advance ruling module is made available on the common portal, the following conditions and procedure are prescribed for the manual filing and processing of the applications.

अग्रिम नियम के लिए प्राधिकरण को आवेदन के फार्म और तरीके

**Form and Manner of application to the Authority for Advance Ruling**

३. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 97 के उप-धारा (1) के तहत एक अग्रिम निर्णयन प्राप्त करने के लिए एक आवेदन और इसके तहत बनाए गए नियमों को फॉर्म जीएसटी एआरए 01 में चौगुनी बना दिया जाएगा। आवेदन उस सवाल का स्पष्ट रूप से बताएगा जिस पर अग्रिम निर्णयों की मांग की गई है। आवेदन के साथ पांच हजार रुपए की फीस होगी, जिसे आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाना है, जो कि सीएसजीटी अधिनियम की धारा 49 के तहत निर्दिष्ट है। यह दोहराया जाता है कि हालांकि, आम पोर्टल पर अग्रिम सत्तारूढ़ मॉड्यूल उपलब्ध होने तक आवेदन मैन्युअल रूप में दर्ज किया जाएगा, हालांकि, CGST अधिनियम की धारा 49 के अनुसार शुल्क ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है।

An application for obtaining an advance ruling under sub-section (1) of section 97 of the CGST Act and the rules made thereunder shall be made in quadruplicate, in **FORM GST ARA-01**. The application shall clearly state the question on which the advance ruling is sought. The application shall be accompanied by a fee of Five thousand rupees which is to be deposited online by the applicant, in the manner specified under section 49 of CGST Act. It is reiterated that though the application shall be filed manually till the advance ruling module is made available on the common portal, the fee is required to be deposited online in the terms of section 49 of the CGST Act.

४. आम पोर्टल पर एडवांस फैसले के लिए आवेदन करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए आवेदन को "यूजर यूजर आईडी एडवांस रूलिंग अंडर यूजर सर्विसेज" का उपयोग करके अपने विवरण भरना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद, एक ऑनलाइन पासवर्ड (ओटीपी) ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। ओटीपी जमा करने पर, सिस्टम एक अस्थायी आईडी जनरेट करेगा और उसे आवेदक के घोषित ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेज देगा। इस आईडी के आधार पर, आवेदक 5000 / - रुपये की फीस का भुगतान सीजीएसटी और संबंधित एसजीएसटी अधिनियम के तहत कर सकता है। फिर आवेदन को चालान प्रिंट करने और आवेदन करने के लिए अग्रिम नियम के लिए प्राधिकरण के साथ आवेदन करने की आवश्यकता है।

In order to make the payment of fee for filing an application for Advance ruling on the common portal the application has to fill his details using "Generate User ID for Advance Ruling under "User Services". After entering the email ID and Mobile no., a onetime password (OTP) shall be sent to the email ID. Upon submission of OTP, system shall generate a temporary ID

and send it to the declared email and mobile number of the applicant. On the basis of this ID, the applicant can make the payment of the fee of Rs. 5000/- each under the CGST and the respective SGST Act. The application is then required to download and take a print of the challan and file the application with the authority for Advance Ruling.

५. आवेदन, इसमें निहित सत्यापन और इस तरह के आवेदन के साथ संबंधित सभी संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे-

(ए) एक व्यक्ति के मामले में, व्यक्ति खुद से या जहां वह भारत में अनुपस्थित है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस संबंध में उनके द्वारा उचित रूप से अधिकृत किया गया है, और जहां व्यक्ति मानसिक रूप से अपने मामलों में शामिल होने से अक्षम है, उनके अभिभावक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा।

(बी) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में, कर्ता द्वारा और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या मानसिक रूप से अपने मामलों में शामिल होने से अक्षम है, इस तरह के परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य या ऐसे कर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(सी) कंपनी के मामले में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(डी) सरकार या किसी सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, इस अधिकारी में अधिकृत अधिकारी द्वारा;

(ई) किसी फर्म के मामले में, किसी भी भागीदार द्वारा, नाबालिग या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना;

(च) अन्य संघ के मामले में, संघ या व्यक्ति के किसी भी सदस्य या उसके द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(जी) किसी ट्रस्ट के मामले में, ट्रस्टी या किसी ट्रस्टी या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा; या

(एच) किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी तरफ से कार्य करने के लिए या सीजीएसटी अधिनियम के धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत व्यक्ति द्वारा।

The application, the verification contained therein and all the relevant documents accompanying such application shall be signed-

(a) in the case of an individual, by the individual himself or where he is absent from India, by some other person duly authorized by him in this behalf, and where the individual is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf.

(b) In the case of a Hindu Undivided Family, by a Karta and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family or by the authorised signatory of such Karta;

(c) In the case of company, by the chief Executive Officer or the authorized signatory thereof;

(D) in the case of Government or any Government agency or local authority, by an officer authorised in this behalf;

(e) In the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor or the authorized signatory thereof;

(f) In the case of other association, by any member of association or person or the authorized signatory thereof;

(g) In the case of a trust, by the trustee or any trustee or the authorized signatory thereof; or

(h) In the case of any other person, by some person competent to act on his behalf or by a person authorised in accordance with the provisions of section 48 of the CGST Act.

अग्रिम नियम के लिए अपीलीय प्राधिकरण को अपील करने का फॉर्म और तरीके

**Form and Manner of Appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling**

६. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 98 के उप-धारा (6) के तहत जारी अग्रिम निर्णयों के खिलाफ अपील और इसके तहत बनाए गए नियम, आवेदक द्वारा फॉर्म-जीएसटी एआरए 02 में चौगुनी बना दिए जाएंगे और एक साथ होंगे। सीजीएसटी अधिनियम के धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके में दस हजार रुपये का शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन जमा करना है। यह दोहराया जाता है कि आवेदन के माध्यम में आम पोर्टल पर अग्रिम सत्तारूढ़ मॉड्यूल उपलब्ध होने तक मैन्युअल रूप से दायर किया जाएगा, यह CGST अधिनियम की धारा 49 की अवधि में ऑनलाइन जमा करने के लिए शुल्क की आवश्यकता है। उपरोक्त पैरा 4 में विस्तृत रूप से फीस का भुगतान किया जाएगा।

An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 of the CGST Act and the rules made thereunder shall be made by an applicant in quadruplicate, in FORM-GST ARA-02 and shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees to be deposited online, in the manner specified in the section 49 of the CGST Act. It is reiterated that through the application shall be filed manually till the advance ruling module is made available on the common portal, the fee is required to be deposited online in the term of section 49 of CGST Act. The payment of fee shall be made as detailed in para 4 above.

७. संबंधित अधिकारी या न्यायालय अधिकारी द्वारा अपील की गई जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 100 में उल्लिखित किया गया है और इसके तहत बनाए गए नियम एक आवेदक द्वारा फॉर्म-जीएसटी एआरए - 03 में चौगुनी बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। अपील दाखिल करने के लिए अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 100 (2) के अनुसार अपील, चिंताजनक अधिकारी या न्यायक्षेत्र अधिकारी की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगी, जैसा कि मामला हो।

An appeal made by concerned officer or the jurisdictional officer referred to in section 100 of CGST Act and the rules made thereunder shall be made by an applicant in quadruplicate, in FORM-GST ARA-03 and no fee shall be payable by the said officer for filing the appeal. As per section 100 (2) of the CGST Act, the appeal shall be filed within a period of thirty days from the date on the concern officer or the Jurisdictional officer, as the case may be.

८. अपील, उसमें सत्यापन किया गया है और इस तरह की अपील के साथ संबंधित सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे -

(ए) संबंधित अधिकारी या न्यायिक अधिकारी के मामले में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित अधिकृत अधिकारी द्वारा; तथा

(बी) किसी आवेदक के मामले में, उपरोक्त पैरा 5 में निर्दिष्ट तरीके से

The appeal, the verification contained therein and all the relevant documents accompanying such appeal shall be signed -

(a) In the case of concerned officer or the jurisdictional officer, by an officer authorised in writing by such officer; and

(b) In the case of an applicant, in the manner specified in para 5 above.

९. अग्रिम निर्णयों या अपीलीय प्राधिकारी के सामने अपील के आवेदन अग्रिम निर्णयों के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के कार्यालय में या अग्रिम नियम के लिए राज्य अपीलीय प्राधिकरण में दर्ज किया जाएगा।

The application of advance ruling or the appeal before the Appellate Authority shall be filed in the jurisdictional office of the respective State Authority for advance ruling or the State Appellate Authority for advance Ruling Respectively.

१०. यदि फॉर्म के किसी भी आइटम का जवाब देने के लिए उपलब्ध स्थान को अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग-अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदन, सत्यापन में संलग्न किया गया है, आवेदन के अनुबंध और अनुलग्नकों के साथ बयान और दस्तावेज स्वयं-प्रमाणित होने चाहिए।

If the space provided for answering any item of the Forms is found to be insufficient, separate sheets may be used. Further, the application, the verification appended thereto, the annexures to the application and the statement and documents accompanying the Annexures must be self-attested.

११. अगर इस परिपत्र के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो उसे उपायुक्त (एपीजी), कस्टम हाउस, मर्मगोआ, गोवा के नोटिस में लाया जा सकता है।

Difficulty if any faced in the implementation of this circular may be brought to the notice of Deputy Commissioner (Appg.), Custom House, Marmagoa, Goa.

आर मनोहर  
(आर. मनोहर) ९.३.१८  
आयुक्त, सीमा शुल्क  
गोवा

प्रतिलिपि:

१. मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क पुणे जोन पुणे
२. अपर आयुक्त सीमाशुल्क मर्मगोआ गोवा
३. समस्त सहायक आयुक्त सीमाशुल्क मर्मगोआ गोवा
४. कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन मर्मगोआ गोवा
५. समस्त संगठन / ट्रेड / आयातक / शीपिंग एजेंट्स
६. सूचना पट सीमाशुल्क भवन मर्मगोआ गोवा
७. कार्यालय प्रति